

|                                                                                                   |                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                  | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                     | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | पौष 26, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 16, 2026<br>Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026 |                                                  |

**भाग 5 (घ)**

**औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।**

**श्रम विभाग**

**कार्यालय श्रम आयुक्त राजस्थान, जयपुर**

**अधिसूचना**

**जयपुर, दिसम्बर 30, 2025**

**संख्या एफ14(13)(24)श्रम/विधि/1995/00951 :-** भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का संख्या-27) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा राज्य नियम, 2009 के नियम-4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 'राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक सलाहकार समिति' का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1. शासन सचिव श्रम अध्यक्ष
2. राज्य विधानसभा के सदस्य (2) सदस्य
  - (i) श्री लालाराम बैरवा- माननीय विधायक शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा
  - (ii) श्री पद्मराम विश्णोई- माननीय विधायक फलौदी, जिला- जोधपुर
3. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अजमेर सदस्य  
(केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)
4. मुख्य निरीक्षक पदेन सदस्य
5. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि- (4) सदस्य
  - (i) श्रीमती मंजू दवे, भारतीय मजदूर संघ राजस्थान (BMS)
  - (ii) श्री हरिमोहन शर्मा, महासचिव भारतीय मजदूर संघ राजस्थान
  - (iii) श्री कुणाल रावत, महासचिव आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)
  - (iv) श्री रामपाल सैनी, अध्यक्ष राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र(RCITU)

6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो के नियोजकों के प्रतिनिधि- (4) सदस्य
- (i) निधि खण्डेलवाल (अधिवक्ता), दि एम्प्लोयर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान
  - (ii) श्री सुशील कुमार माहेश्वरी, लघु उद्योग भारती।
  - (iii) श्री उदय भुवालका, युनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इण्डस्ट्री (UCORI)
  - (iv) श्री सुधीर गाड़िया, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (FORTI)

7. मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लि०। सदस्य

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (औद्योगिक संबंध), राजस्थान राज्य सलाहकार समिति के सचिव होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

धर्मपाल सिंह,

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,

पदेन संयुक्त शासन सचिव,

राजस्थान, जयपुर।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।